डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedur Code Appndix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **केकड़ी**

व इजलास श्री सुरेन्द्र सिह पुरोहित आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर
निवासी सावर

वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधि0,131राज0भू राजस्व
राजस्व वाद संख्या 73/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री सुरेन्द्र सिह पुरोहित आर0ए0एस0** उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी **श्री हेमन्त जैन वकील** मिनजानिब मुद्दई व **तहसीलदार सावर** मिनजानिब मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद ग्राम गोरधा- का वर्तमान नक्शा मैट्रिक शीट एवं भू शुद्धिकरण नक्शे के मिलान से स्पष्ट है कि पूर्व खसरा नंबर 1008 व 1009 के नये नबर 1332 व 1333 की तरमीम मे भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान त्रुटि हुई है जिसका दुरूस्त किया जाना उचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर आदेश की पालना मे राजस्व नक्शा ट्रेस भू शुद्धिकरण के नक्शे के अनुसार जिस अनुसार वादी मौके पर काबिज है नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करे। अन्य इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर रहेगे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक..बाबत्...............................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 मार्च 2020 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:48 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2019

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर

––प्राथी/वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भू.अ.) तहसील सावर जिला अजमेर

—अप्रार्थी /प्रविादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 131 राज0भू राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित::– श्री हेमन्त जैन वकील– प्रार्थीगण
तहसीलदार सावर–पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 18.3.20

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम तथा सपठित धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद कर निवेदन किया कि ग्राम गोरधा तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2073–76 की निम्नवर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की है::–

खाता संख्या नया– पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
146 121	1337	2.42	बारानी–3
	1337/1523	4.39	बारानी–2

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:48 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित आराजीयात के पुराने खसरा नंबर 1020 है। वादी की इस आराजीयात के पास निम्न वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम गोरधा पटवार हल्का गोरधा तहसील सावर जिला अजमेर मे स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म

इस आराजी के भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराने नंबर निम्न प्रकार है:–

हाल		साबिक	
खसरा नंबर	रकबा	खसरा नंबर	रकबा
1332	1.09	1009	1.09
1333	0.40	1008	0.40

वादी अपनी आराजीयात पर भू शुद्धिकरण नक्शा संवत् 2027–2028 के अनुसार काबिज है तथा आज दिनांक तक भी उसी रूप मे आराजी पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 अथवा अन्य किसी संस्था को यह अधिकार हांसिल नहीं है कि वे बिना किसी अधिकार के या बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिकरी के वादी की आराजीयात के नक्शें को बदल सके, अथवा ऐसा कोई कार्य करे जिससे की आराजीयात की लंबाई चौड़ाई इत्यादि मे परिवर्तन हो। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान जो नये नंबर जो आराजी खसरा नंबर 1008 व 1009 के बनाये गये है उसमे नक्शे मे तरमीम के दौरान राजस्व विभाग के नक्शें मे प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बिना किसी आधार के परिवर्तन कर दिया है जो गलत है। दिनांक 12.09.2019 को प्रार्थी बैक से के0सी0सी0 बनवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण तथा नकले प्राप्त तब जानकारी मिली। प्रतिवादी संख्या 1 से इस सबंध मे जानकारी की तो उन्होने अपनी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी तथा कहा कि न्यायालय से आदेश लाना पड़ेगा। अतः प्रार्थना पत्र /दावा पेश किया। अतः आराजी खसरा नंबर 1337व 1337/1523 की तरमीम राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस भू शुद्धिकरण के नक्शें के अनुसार जिस अनुसार की वादी मौके पर काबिज है की जाये तथा इस हेतु नक्शा दुरूस्त किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वादी वकील को दी गई। जवाब सरकार अप्रार्थी/प्रतिवादी नं बताया कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान विभाग द्वारा ही जो नये नंबर आराजी खसरा नंबर 1008 व 1009 के बनाये गये है। की तरमीम वादी की आराजीयात की स्थिति मे परिवर्तन करते हुए की है। खसरा नंबर 1008 व 1009 के नये खसरा नंबर 1332 व 1333 जो भू शुद्धिकरण नक्शे मे खसरा नंबर 1017 गैर मुमकिन रास्ता के उत्तर के न[illegible]रा नंबर 1347 है के दक्षिण की और कर दी गई है जो की वर्तमान [illegible] के मिलान से स्पष्ट है। जबकि खसरा नंबर 1017 गैर मुमकिन रा[illegible] नये खस[illegible]बर 1347 के दक्षिण की और पूर्व खसरा नंबर 1020 का क्षेत्र है। ज[illegible] वादी की [illegible] आराजीयात है। भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान् विभाग द्वारा नक्शें की तरम[illegible] परिवर्तन से भिन्नता आयी है। भू प्रबन्ध से प्राप्त राजस्व रेकार्ड ही वर्तमान मे मान्य है। एवं भू शुद्धिकरण नक्शें के अनुसार दुरूस्ती हेतु वादी ने वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत है। वादी द्वारा वर्तमान नक्शा मैट्रिक शीट मे हुई गलती को दुरूस्त करने के लिए वाद दायर किया है जो न्याय संगत है। वर्तमान नक्शा मैट्रिक शीट एवं भू शुद्धिकरण नक्शे के मिलान से स्पष्ट है कि पूर्व खसरा नंबर 1008 व 1009 के नये नंबर 1332 व 1333 की तरमीम मे भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान त्रुटि हुई है जिसका दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:48 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नक्शें को दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की है। पैरोकार सरकार ने भी प्रार्थी के वकील की प्रार्थना अनुसार नक्शें मे दुरूस्त किये जाने की सहमति दी है। उनका कथन है कि इससे राज्यहित प्रभावित नहीं होता है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जवाब सरकार व पक्षकारान् के लायक अधिवक्ता व पैरोकार सरकार को सुना गया। ग्राम गोरधा के खसरा नंबर खसरा नंबर 1008 व 1009 के नये खसरा नंबर 1332 व 1333 जो भु शुद्धिकरण नक्शे मे खसरा नंबर 1017 गैर मुमकिन रास्ता के उत्तर के नवीन खसरा नंबर 1347 है के दक्षिण की और कर दी गई है जो की वर्तमान एवं पूर्व के नक्शें के मिलान से स्पष्ट है। जबकि खसरा नंबर 1017 गैर मुमकिन रास्ता के नये खसरा नंबर 1347 के दक्षिण की और पूर्व खसरा नंबर 1020 का क्षैत्र है। जो वादी की पुश्तैनी आराजीयात है। भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान् विभाग द्वारा नक्शें की तरमीम परिवर्तन से भिन्नता आयी है। भू प्रबन्ध से प्राप्त राजस्व रेकार्ड ही वर्तमान मे मान्य है। एवं भू शुद्धिकरण नक्शें के अनुसार दुरूस्ती हेतु वादी ने वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो न्याय संगत है। वादी द्वारा वर्तमान नक्शा मैट्रिक शीट मे हुई गलती को दुरूस्त करने के लिए वाद दायर किया है जो न्याय संगत है। वर्तमान नक्शा मैट्रिक शीट एवं भू शुद्धिकरण नक्शे के मिलान से स्पष्ट है कि पूर्व खसरा नंबर 1008 व 1009 के नये नंबर 1332 व 1333 की तरमीम मे भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान त्रुटि हुई है जिसका दुरूस्त किया जाना उचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर , आदेश की पालना मे राजस्व नक्शा ट्रेस भू शुद्धिकरण के नक्शे के अनुसार जिस अनुसार की वादी मौके पर काबिज है,नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करे। अन्य इन्द्राज जमाबंदी बदस्तूर रहेगे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:46:48 IST
Reason: SelfAttested